29.07.2020

DR. Bipin Kumar
Professor, Deptt. of Economics
R.R.S. College, Mokama
PPU, Patna

B.A. Part- II
Economics(H) - Paper- I
"Co-operative Farming"
Indian Economy

प्रश्न : सहकारी खेती क्या है ? यह कितने प्रकार की होती है ? इसके प्रमुख लाभ एवं हानि को बतावें । (What is co-operative farming, Types of co-operative farming. Discuss its advantages and disadvantages.

उत्तर : सामान्यतः सहकारी खेती में प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमि का मालिक स्वयं होता है - लेकिन कुछ अतिरिक्त लाभ के उद्देश्य से वह स्वयं तथा कुछ दूसरे भूमि मालिक मिलकर एक समिति बनाते हैं और उस इकट्ठे भूमि पर सामूहिक खेती करते हैं। इस तरह की सामूहिक खेती में सदस्यों का अपनी सामूहिक खेती भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व ज्यों-का-त्यों बरकरार रहता है। सरकारी कागजों पर भी उसका भू-स्वामित्व अक्षुण्ण रहता है और सुविधानुसार, कोई सदस्य जब भी चाहे सहकारी समिति से बाहर भी निकल सकता है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि सहकारी खेती एक ऐसी खेती है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छापूर्वक संगठित होकर, समानता के आधार पर समान हितों की पूर्ति हेतु अपनी-अपनी भूमि को मिलाकर एक साथ सामूहिक रूप से खेती करते हैं और उससे हुए उपज या लाभ को आपस में बाँट लेते हैं। सहकारी खेती को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है,

"सहकारी खेती से तात्पर्य उस समूह या संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, पूंजी, एवं श्रम को एक साथ इकट्ठा करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं।"

दूसरी परिभाषा, "सहकारी कृषि का अर्थ अनिवार्य रूप से भूमि को एक साथ मिलाना एवं संयुक्त रूप से कृषि कार्य एवं प्रबन्ध करना है।"

सहकारी खेती निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं :

(1) सहकारी सामूहिक खेती (Co-operative collective farming):
इस प्रकार की खेती में भू-स्वामित्व एवं कृषि कार्यों के प्रबन्ध का अधिकार समिति का होता है। इसके अंतर्गत भू-स्वामित्व एवं कृषि कार्य का संचालन दोनों ही सामूहिक तौर-तरीके/प्रणाली से होता है। इस प्रकार की समिति के पास भूमि या तो स्वयं रहते या किराया लगान पर होते हैं। इस संपूर्ण भूमि पर समिति के द्वारा सामूहिक खेती करवायी जाती है जिसमें सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं और बदले में उन्हें निर्धारित या निश्चित वेतन का भुगतान किया जाता है। साल के अन्त में, लाभ का अंश संचित कोष में जमा किया जाता है और मजदूरी, प्रबन्ध संबंधी व्यय के बीच जानेवाली रकम निकालकर जो लाभ शेष बचता है उसे प्रत्येक सदस्य के बीच उसकी कुल कमाई गई मजदूरी के अनुपात में बाँट दिया जाता है। इस प्रकार की खेती ... बड़े पैमाने पर खेती करने के कारण उत्पादन [illegible]

29
FRIDAY - MAY
WK-22 • 150-216
MAY 2020
Appointments

में मशीनों का प्रयोग भली-भाँति किया जा सकता है। इससे आधुनिक कृषि कौशल का लाभ मिलता है, फलस्वरूप उत्पादन अधिक होती है।

सहकारी कृषि के तहत सदस्यों को समिति की नीतियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है वे समिति से (सम्बन्ध विच्छेद) अर्थात अपना सम्बन्ध तोड़ने और उससे अलग हटने को स्वतंत्र हैं और उससे अपनी हिस्सा पूँजी (Share capital) लेकर बाहर निकलने को स्वतंत्र रहते हैं। बावजूद इसके, हमारे देश में अभी तक सहकारी कृषि देशवासियों एवं कृषकों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पायी है।

(2) सहकारी काश्तकारी खेती (Co-operative Tenant Farming):
इसके तहत भूमि का स्वामित्व सामूहिक अथवा समिति का होता है लेकिन कृषि कार्य प्रत्येक सदस्य के द्वारा अलग-अलग किया जाता है। इस प्रकार की खेती में समिति बड़े-बड़े जमींदारों या फिर सरकार से जमीन लंबे पट्टे या निर्धारित लगान पर ले लेती है। बाद इसके जमीन को आपस में छोटे-छोटे जोतों के रूप में किसानों के बीच बाँटकर खेती किया जाता है जिसे इस समिति का लगानदार या फिर काश्तकारी के नाम से जाना जाता है।

इस संपूर्ण भूमि पर खेती कार्य समिति के द्वारा तय योजना के अनुरूप की जाती है। योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार का हो यह सदस्यों की इच्छा और उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि समिति सदस्यों को आवश्यकतानुरूप बीज, खाद, ऋण एवं मंहगे उपकरण उपलब्ध करवाने के साथ ही उपज को मंडी में पहुँचाने तक की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती है -- इसके बावजूद समिति के सदस्य इन सारी सुविधाओं का लाभ लें या नहीं -- उनके ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार, सदस्य समिति में प्रत्येक कार्य हेतु स्वतंत्र हैं -- प्रत्येक सदस्य अपने जोत का निर्धारित लगान का भुगतान करता है।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि समिति जमींदार के रूप में कार्य करती है और जो लगान सदस्यों के द्वारा अर्पित किया जाता है उसका कुछ हिस्सा संचित कोष में रखकर शेष का वितरण सदस्यों के बीच कर दिया जाता है जिस अनुपात में वे लगान अदा करते हैं। हमारे देश में इस प्रकार की खेती भी लोकप्रियता हासिल नहीं कर पायी। इस प्रकार की खेती मद्रास (तमिलनाडु) में उपनिवेश समितियाँ एवं 'गंगा खादर योजना' के नाम से कुछ क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश) में प्रचलित है।

(3) सहकारी उन्नत खेती (co-operative Better farming) : इस तरह की खेती में व्यक्तिगत भू-स्वामी का भूमि पर अधिकार (स्वामित्व) और भूमि का प्रबन्ध बना रहता है अर्थात् इसमें भूमि एकत्र नहीं किया जाता है। इसमें भूस्वामी एक साथ मिलकर समिति बनाकर उससे उत्तम खाद, बीज, सिंचाई सुविधा, ऋण एवं आधुनिक कृषि उपकरण एवं व्यापार व्यवस्था की सुविधा का लाभ सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करता है। अन्त में, प्रत्येक सदस्य को दिए गए सुविधाओं का व्यय घटाकर लाभ का एक हिस्सा लाभांश के रूप में प्राप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश में, एक प्रकार से सहकारी गन्ना समितियाँ (co-operative cane societies) एवं सहकारी सेवा समितियाँ (service co-operatives) उन्नत सहकारी कृषि समितियों के नमूने हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की खेती का मुख्य उद्देश्य भू-स्वामित्व की रक्षा करते हुए, खेती की समुन्नत विधियों को बड़े पैमाने पर आर्थिक उपज के रूप में लाभ प्राप्त करना।

(4) सहकारी संयुक्त खेती (co-operative joint farming) : इस व्यवस्था के अन्तर्गत भी सामूहिक खेती की जाती है। खेती के प्रबन्ध हेतु एक वैतनिक प्रबन्धक, सम्मिलित कोष (common fund) बनाया जाता है। इसमें सभी सदस्य मिलकर साथ में खेती करते हैं। भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत रहता है। वर्ष के अन्त में सदस्यों को दी गयी सुविधा खर्च एवं मालगुजारी घटाकर भूमि के मूल्य के अनुपात में लाभांश (dividend) बाँट दिया जाता है। इस तरह की खेती, छोटे-छोटे कृषकों के लिए लाभकारी होता है जो साधनहीन होते हैं, जिन्हें पूँजी की कमी होती है - उन्हें इससे पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है। आजकल सरकार भी ऐसी खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित कर रही है।

अब सहकारी कृषि से होने वाले लाभ (Advantages of co-operative farming) की चर्चा करेंगे या भारत में सहकारी खेती का भविष्य :

(1) जोतों के आकार में वृद्धि (Increase in the size of Holdings).
(2) कृषि का आधुनिकीकरण (बड़े पैमाने की कृषि के लाभ) (Economy of large scale farming)
(3) सरकारी सुविधा का आसानी से उपलब्धता
(4) अधिक उत्पादन और मंडी में बेचने के लिए अधिक अतिशेष
(5) सामाजिक सेवाओं की उपलब्धि : इससे सदस्यों की आय बढ़ जाती है, इसका खर्च सदस्य कई सामाजिक सेवाओं यथा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सेवायें उपलब्ध कराने के लिए उपयोग कर सकती है।
(6) अधिक एवं पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा (more Economic Security).
(7) कृषि का आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ एवं मजबूत (Deep Relation Between farmers and Government)

(8) सम्पूर्ण समाज को लाभ (Benefit to the whole society)

(9) कृषकों की गरीबी का निराकरण (Solution of poverty of the farmers)

उपरोक्त बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि सहकारी कृषि समितियों से किसानों के साथ ही सरकार को भी कई प्रकार का लाभ मिलता है। इसमें आकस्मिक संकट के समय सरकार अपनी कृषि नीतियों यथा अनाज की खरीददारी, फसल उत्पादन, कृषि उपकरण के द्वारा उन्नत खेती को बढ़ावा देने जैसे कार्य को आसानी से कर सकती है।

इससे किसानों को सरकारी सुविधा प्राप्त करने में आसानी होती है -- सरकारी छूट वो अनुदान आसानी से प्राप्त हो जाती है।

इस प्रकार की सहकारी कृषि समितियों से सरकार को कृषि संबंधी विश्वस्त एवं सही आंकड़े संग्रह करने में भी सहायता मिलेगी।

अब हम सहकारी कृषि से होने वाली हानियों (Disadvantages) की चर्चा करेंगे:

(i) नीजता का अभाव.

(ii) किसानों की कमजोरी.

(iii) बराबर या एक समान जमीन एवं क्षमता की कमी.

(iv) कुछ निर्णय एवं व्यवस्था से संतुष्ट नहीं

(v) भ्रष्टाचार को बढ़ावा

(vi) पर्याप्त एवं समय पर वित्तीय सुविधाओं का अभाव

(vii) तकनीकी सहायता का अभाव (पर्याप्त प्राप्ति नहीं)

(viii) सदस्यों के बीच आपसी समझदारी की कमी

(ix) व्यवस्थापकों के द्वारा सदस्यों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव.

इसके बावजूद भारत जैसे विकासशील, ग्राम प्रधान एवं कृषि प्रधान देश के लिए "सहकारी खेती" देशहित एवं किसान हित में है। इस संबंध में महात्मा गांधी' का कथन बहुत प्रासंगिक एवं यथोचित है, उनके अनुसार, "मेरा दृढ़ विश्वास है, कि जब तक देश में हम सहकारी खेती नहीं करेंगे तब तक हम कृषि से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्या यह इस कारण से नहीं बड़ा होता है कि किसी गाँव में सौ परिवारों के लिए अपनी जमीनों को सामूहिक रूप से खेती करना बेहतर है और उनकी आय को किसी भी तरह से जमीन को सौ भागों में ही बाँटना है।"